



File No.CEA-PL-14-38/6/2018-PDM Division



भारत सरकार  
Government of India  
विद्युत मंत्रालय  
Ministry of Power  
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण  
Central Electricity Authority  
पी. डी. एम. प्रभाग  
Power Data Management Division

सेवा में,

मुख्य अभियंता,  
थर्मल डिजाइन, शक्ति विहार, टी-आई  
पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड,  
पटियाला, पंजाब

विषय : गुरु नानक देव थर्मल प्लांट (जीएनडीटीपी), भटिंडा की सभी 4 यूनिट्स और गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट (जीजीएसएसटीपी) रोपर.-पीएसपीसीएल की यूनिट नंबर 1 और 2 के संचालन को स्थायी रूप से बंद करने के लिए।

सन्दर्भ : पंजाब सरकार , एनर्जी ब्रांच ((ओएसडी, पावर रिफॉर्म विंग) ( द्वारा सीएमडी, पीएसपीसीएल को जारी ज्ञापन संख्या 1/15/2017 ईबी (पीआर) / 832 दिनांक 21.12.2017।


महोदय,

यह आपके उपर्युक्त निर्दिष्ट पत्र के संदर्भ में है , जो कि गुरु नानक देव थर्मल प्लांट (जीएनडीटीपी), भटिंडा की सभी चार इकाइयों और गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट (जीजीएसएसटीपी) रोपर की यूनिट नंबर 1 और 2 (2x210MW) को स्थायी रूप से बंद करने के संबंध में है | पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) द्वारा प्रस्तुत विवरण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देख लिया गया है |

ऐसा देखा गया है कि इन इकाइयों , 460 MW गुरु नानक देव थर्मल प्लांट (जीएनडीटीपी), भटिंडा (सीईए रिकॉर्ड के अनुसार , स्टेशन की क्षमता केवल 4x110 मेगावाट है) और गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट (जीजीएसएसटीपी) रोपर.-के यूनिट नंबर 1 और 2 के रिटायर करने का निर्णय पंजाब सरकार कैबिनेट द्वारा inefficient power plants जो की 25 से अधिक वर्षों के लिए संचालन में हैं और जिनका प्रचालन uneconomical है, 20.12.2017 को लिया गया है।

गुरु नानक देव थर्मल प्लांट (जीएनडीटीपी), भटिंडा की सभी इकाइयों कुल क्षमता 440 MW (4 \*110 MW) और गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट (जीजीएसएसटीपी), रोपर की इकाई संख्या 1 और 2 कुल क्षमता 420 MW (2x210MW) को रिटायर करने का निर्णय पंजाब सरकार कैबिनेट द्वारा उनके स्वयं के तकनीकी -आर्थिक कारणों से लिया गया है और उनके निर्णय के आधार पर इन इकाइयों की क्षमता को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अखिल भारतीय स्थापित क्षमता से हटाया जा रहा है |

भवदीय,

  
21/12/2018  
(पी.सी. कुरील)

सचिव, के.प्रा.वि.

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. पी.पी.एस., सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय
2. अध्यक्ष, के.वि.प्रा. के वरिष्ठ सहायक
3. सदस्य (योजना/ जल विद्युत/तापीय/आ.एवं वा./जी.ओ.एंड डी./ पी.एस.), के.वि.प्रा

4. के.वि.प्रा. के सभी मुख्य अभियंता
5. के.वि.प्रा. के सभी अधिनस्थ कार्यालयों के प्रधान
6. आई.टी.प्रभाग, के.वि.प्रा को के.वि.प्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए